पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

डॉ० प्रताप कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
वी०वी० (पी०जी०) कॉलेज, शामली
ईमेलः prtapsoroha@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र ''पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता'' में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण विषय को समझाया गया है। शोध पत्र में महिलाओं को राजनीति में अपने आपको कैसे सशस्त बनाया जा सकता है, शोधपत्र में महिलाओं को राजनीति में सहभागिता कर गाँवों व समाज के विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया गया है। वर्तमान में महिलाएं गाँवकी अनेकों समस्याओं का प्रतिदिन समाधान कर रही है। पंचायत और राष्ट्रीय सरकार के प्रयास से गांवों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जा रहा है जिसमें न केवल ग्रामीण समाज को गतिशील बनाने का प्रयास हुआ बल्कि बेरोजगारी की समस्या को भी काफी हद तक कम किया है। महिला आरक्षण से समाज में महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार व बदलाव आ रहा है। स्थानीय शासन में विकेन्द्रीकरण के माध्यम से अब महिलाएं राजनीति में भाग ले रही है। महिला शिक्षा को लेकर समाज की सोच सकारात्मक हुई। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढी है।

मुख्य बिन्दु

पंचायती राज, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, संविधान, अनुच्छेद, नेतृत्व, सामुदायिक विकास, संवैधानिक संशोधन।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 13.09.2023
Approved: 20.09.2023

डॉ० प्रताप कुमार

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

RJPP Apr.23-Sep.23,
Vol. XXI, No. II,

PP. 190-194
Article No. 26

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

पंचायत राज व्यवस्था, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का ही दूसरा रूप कहा है विकेन्द्रीकरण में शासन विभिन्न स्तर पर होता है जैसे राष्ट्रीय स्तर (केन्द्रीय), राज्य स्तर (प्रदेशीय) तथा पंचायत एवं नगर निकाय (स्थानीय) के स्तर पर, इसके द्वारा लोगों की अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

लोकतंत्र में स्थानीय षासन के बिना वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता, संविधान में कहा गया है कि ''भारत एक राज्यों का संघ है।'' अर्थात् जिसमें षक्तियाँ केन्द्र और राज्य के मध्य विभाजित है। लेकिन 'स्थानीय षासन' का ढाँचा किस प्रकार का होगा यह राज्यो के हाथ में होता है इसमें केन्द्र सरकार का कोई दखल नही होता।

भारतीय संविधान लागू होने (1950) से लेकर 1993 तक यही व्यवस्था थी लेकिन सामुदायिक कार्यक्रम की विफलता के कारण और लोगों की स्थानीय भागीदारी को समझते हुए संविधान में 73वाँ संवैधानिक संशोधन किया, जिसे पंचायती राज अधिनियम 1992 कहते है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है–

जब 1992 में 73वाँ संवैधानिक संशोधन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव थे, यह बिल 22 दिसम्बर 1991 को लोकसभा मे पास हुआ तथा 23 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा मे पास हुआ उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ अर्थात स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।

संविधान के भाग 9 में इसे जोडा गया साथ ही 16 अनुच्छेद, 243 243a से लेकर 243o तक तथा संविधान में 11वीं अनुसूची जोडी गई, पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर होंगे, पंचायती राज अधिनियम 1992 राज्य सूची का विषय बना जिसमे कुल 29 विषय सम्मिलित किये गये तथा सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं को 33% से लेकर 50% का ग्राम पंचायत के तीनों स्तर पर आरक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश वह पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसी के साथ भारत के लगभग सभी राज्यो में आज यह व्यवस्था लागू है।

पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गावों मे महिलाओं की भूमिका बदली, उनकी भागीदारी बढने के साथ ही महिलाओं की स्थिति मे बहुत सुधार आया, यह व्यवस्था ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाएं घूंघट मे रहने को विवश थी उन्हे पंचायत तो दूर घर मे भी बोलने का ठीक से अधिकार नहीं था। उन्हें प्रत्येक कार्य के लिए पिता, पति, भाई तथा पुत्र तक पर निर्भर रहना पड़ता था।

इसमें संदेह नहीं है कि पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद महिलाओं की सहभागिता बढी है।उनमें नेतृत्व की भावना का उदय हुआ समय के साथ–साथ महिलाओं के आत्मविश्वास मे वृद्धि हुई। कुछ आलोचनाओं के साथ जब पंचायत चुनाव होने लगे तब यह कहा गया कि घर का चूल्हा चौका करने वाली ग्राम सरकार क्या चलायेगी लेकिन महिलाओं के बुलंद हौसले से यह सब साकार होने लगा। प्रथम पंचायत चुनाव, जब 1994 के लगभग देश के विभिन्न राज्यो मे हुए तब पोस्टर मे यदि महिला पद आरक्षित है तो महिला के फोटो के स्थान पर उस परिवार के मुखिया का जिसमें पति, ससुर, पिता तथा पुत्र भी शामिल है होता था, और महिला उम्मीदवार घर से बाहर कम ही निकली अपने लिए मत माँगने। जब महिला पदाधिकारी को किसी अधिकारिक बैठक में बुलाया

जाता था उसके स्थान पर ससुर, पति अथवा पिता–पुत्र ही सरकारी प्रतिनिधियों के साथ महिला प्रतिनिधि के रूप उपस्थित होते थे, परन्तु दूसरे पंचायत चुनाव जो कि लगभग वर्ष 1999–2000 के मध्य हुए उनमें महिला उम्मीदवार का पोस्टर मे पति, ससुर, तथा पुत्र के साथ–साथ चित्र भी आने लगा तथा कुछ राज्यो व क्षेत्रों मे महिला उम्मीदवार घर की दहलीज लांघ अपने लिए मतदाताओं से मत की अपील भी करने लगी अर्थात् महिलाऐ सशक्त होने लगी। समय के साथ–2 ग्रामीण समाज ने भी महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व को स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया।

आज इक्सवीं सदीं मे महिलाएं स्वयं घर–घर जाकर मतदाताओं से अपने लिए मत मांगने लगी तथा ग्रामीणो के विकास के लिए घोषणा–पत्र भी स्वयं या परिवार के साथ विमर्श कर तैयार करती है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में महिलाओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महिला और पुरुष समाज के दो पहिए है, समाज के सुचारू संचालन के लिए दोनो का एक साथ चलना जरूरी है। जब महिलाएं एक अच्छी मतदाता और सभी क्षेत्रो मे दक्षता प्राप्त कररही है, तो एक कुशल उम्मीदवार, प्रतिनिधि तथा नेतृत्व भी दे सकती है। जिस प्रकार आज महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र मे आगे बढ़ रही है उसी प्रकार पंचायती क्षेत्र में भागीदारी कर लोकंतत्र की मजबूती के लिए भी महिलाओं को आगे आना ही होगा।

पहली बार वर्ष 1959 मे पंचायतो के सर्वांगीण विकास के लिए बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया तो इस समिति ने पंचायत चुनाव अथवा स्थानीय शासन मे महिलाओं के लिए भागादारी की बात कही, समय–समय पर महिलाओं के लिए सशक्तिरण के लिए सरकार ने कदम उठाए, परन्तु 73 वें संवैधानिक संशोधन 'पंचायती राज अधिनियम–1992' ग्रामीण भारत की महिलाओ के लिए मील का पत्थर साबित हुई।

आखिरकार 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में पंचायतो को भी स्थानीय विषयों (कुल 29 विषयों), पर काम करने का संवैधानिक अधिकार मिला जैसे– कृषि और विस्तार, भूमि सुधार और भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग, खादी ग्रामीण, ग्रामीण आवास, पेयजल (स्वच्छ जल), ईंधन और पशुचारा, सड़के, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन शिक्षा जिसमें प्राईमरी और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार जिसमें मंडिया और मेले भी शामिल, स्वास्थ्य और स्वच्छता व अस्पताल, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण जिसमें विकलांगों और दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक सम्पत्ति (पंचायत की सम्पत्तियों) की देखभाल और रख–रखाव का दायित्व सौंपा गया है। इन जिम्मेदारियो के निर्वहन में पंचायतों में कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं को स्थानीय शासन में भागीदारी देकर महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है।

पंचायत राजप्रणाली में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सहभागिता बढाने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराना होगा। यह उन्हें पंचायती राज में उनकी भूमिका को समझने,

समर्थन प्राप्त करने और उनके विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम होती है। महिलाओं को पंचायती राज में अच्छी भूमिका निभाने के लिए प्राथमिकताऐ निर्धारित करनी होगी। महिलाओं को प्रशासनिक और निर्णयन दलों में शामिल करना होगा जिससे महिलाओं के विचारों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को यहॉ उठने वाली समस्याओं और मुद्दों की समझ होनी चाहिए तभी वह इनके निदान का प्रयास करेगी। पंचायती राज में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता बढाने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए जैसे पंचायत राज को महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, उन्हें जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए, गॉव में महिलाओं के लिए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं एवं स्कॉलरशिप्स प्रदान की जानी चाहिए। स्थानीय स्वशासन को निःशुल्क और बुनियादी शिक्षा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। महिला शिक्षकों की अधिक भर्ती होनी चाहिए तथा महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण देना चाहिए, इससे वह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर सकती है। महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने से वह समाज में सक्षम और स्वावलम्बन हो सकती है।

पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी कार्य किया जाना चाहिए, ये कार्यक्रम निम्न प्रकार के हो सकते है। स्वरोजगार योजनाएं, उद्यमिता को बढावा देना, सामूहिक उद्यमिता, ऋण योजनाएं, कौशल विकास, डिजिटल योजनाएं आदि द्वारा महिलाओं को रोजगार करने में सहायता मिलेगी और वह समाज के विकास में अपना अधिक योगदान कर सकती है।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए स्थास्थ्य और सामाजिक मुद्दों के सम्बन्ध में भी कुछ कदम उठाने होंगे ताकि महिलाऐं अपनी समस्याओं से ही ग्रसित नही रहे बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। गॉव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जैसे चिकित्सा केन्द्र और औषधालय आदि। आहार और पोषण के महत्व को समझने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। बालिकाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का उनके स्थानीय निवास स्थान पर ही समाधान होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उनके खानपान व स्वस्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। विकलांग महिलाओं की विशेष रूप से देखभाल होनी चाहिए, नारी सुरक्षा को बढावा मिलना चाहिए, जिससे वह निडर होकर समाज के विकास में योगदान कर सके।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन में निम्न विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जैसे साक्षरता कार्यक्रम, कौशल विकास, आवासीय प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, महिला संगठनों का प्रोत्साहन, लीडरशिप कार्यक्रम, स्वावलंबन की योजनाएं, आवाज उठाने का प्रोत्साहन, सामाजिक जागरूकता आदि द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और वह अपने समाज को सशक्त कर सकेगी। सामाजिक परिवर्तन के लिए भी कुछ कदम उठाने आवश्यक है जैसे जागरूकता अभियान–विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान हो, बेटी बचाओ बेटी पढाओ को प्रोत्साहन करने की योजनाएं बनाऐ तथा नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे हमारी आधी आबादी सशक्त हो सके। सामाजिक अन्याय न होने पाये और विकलांग और दिव्यांग समुदाय के साथ सोहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में महिलाए प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज महिलाएं गाँव की दहलीज पर विभिन्न समस्याओं का प्रतिदिन के प्रयासो से समाधान कर रही है। पंचायत और राष्ट्रीय सरकार के प्रयास से गांवो को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है जिससे न केवल ग्रामीण समाज को गतिशील बनाने का प्रयास हुआ बल्कि बेराजगारी की समस्या को भी काफी हद तक कम किया है। राज्यों के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्र माने जाने वाले ग्रामीण समाज में'मनरेगा' जैसी योजना लागू करने से न केवल ग्रामीणों को रोजगार मिला वरन पलायन भी कम हुआ है।

महिला आरक्षण से समाज मे महिलाओं की स्थिति मे दिन–प्रतिदिन सुधार व बदलाव आ रहा है। इससे स्थानीय शासन मे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारत मे आज लगभग 2.5 लाख पंचायतो मे से लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे है, और इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं है। स्थानीय शासन मे विकेन्द्रीकरण के माध्यम से अब महिलाएं राजनीति मे भाग ले रही है। महिला शिक्षा को लेकर समाज की सोच सकारात्मक हुई। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, महिलाओं मे आत्मनिर्भरताबढ़ी है।

कुछ चुनौतियों को छोडकर जैसे महिलाओं को केवल प्रतिनिधि मानकर उनके हस्ताक्षर तक वह सीमित थी अर्थात महिला केवल प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली रोबोट बनकर रह जाती है। विश्लेषणात्मक आधार पर कहे तो पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं की स्थिति मे सुधार तो आया है परन्तु वह इतनी सशक्त नही हुई है कि व्यवस्था को अपने ढंग से चला सके। इस कार्य के लिए ग्रामीण महिलाओं को निर्भीक व निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा।

संदर्भ

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार. (2003). 'भारत में पंचायतीराज'. ज्ञान गंगाः नई दिल्ली।
2. शर्मा, महेश. (2015). स्वच्छ भारत सशक्त भारत. ग्रंथ अकादमीः नई दिल्ली।
3. जैन, पुखराज., फडिया, बी.एल. 'भारतीय शासन एवं राजनीति'. साहित्य भवनः आगरा।
4. भारत सरकार. 'ग्रामीण विकास मंत्रालय'. वार्षिक रिपोर्ट (2001–2002 पंचायतो मे आरक्षण)।
5. ओझा, एन.एन. (2005). 'भारत की सामाजिक समस्याऐं'. क्रोनिकल बुक्सः नई दिल्ली।
6. दुबे, अभय कुमार. (2001). 'भारत में राजनीति कल और आज'. वाणी प्रकाशनः नई दिल्ली।
7. जोशी, आर.पी. (2007). 'भारतीय सरकार और राजनीति'. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
8. भगत, आर. बी. (2014). 'कुरुक्षेत्र' ग्रामीण विकास मंत्रालयः नई दिल्ली. दिसम्बर।
9. महिपाल. (2017). 'पंचायत में महिलायें'. राष्ट्रीय पुस्तक न्यायः नई दिल्ली।
10. मंजुलता. (2012). 'भारतीय सामाजिक समस्याये'. अर्जुन पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली।
11. (2018). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण. अंक–3. कुरुक्षेत्र. जनवरी।
12. www.theruralindia.in (Panchayati.rajvyavasthake-29-karya)
13. www.theruralindia.in (womens.reservation.in.panchayatiraj)
14. विभिन्न समाचार पत्र तथा इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों का भी सहयोग लिया है।